न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर–1,फतेहपुर।

उपस्थितः अखिलेश कुमार पाण्डेय ......एच0जे0एस0

सत्र परीक्षण संख्या 888/2020

जे0ओ0कोड–UP6031

C.N.R.N.U.P.F.T01003572-2020

राज्य

..................अभियोजक

प्रति

1. रामबाबू पुत्र हरिश्चन्द्र
2. हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी पुत्र श्रीपाल
3. सोना देवी पत्नी हरिश्चन्द्र
4. गीता देवी पुत्री हरिश्चन्द्र

निवासीगण ग्राम सरौली, थाना सुल्तानपुर घोष, जिला फतेहपुर

....................अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या 87/2020
धारा 498ए,304बी भा0द0स0
व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना सुल्तानपुर घोष, जिला फतेहपुर।

निर्णय

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद में अभियुक्तगण रामबाबू, हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी,सोना देवी व गीता देवी का विचारण मुकदमा अपराध संख्या 87/2020 धारा 498ए,304बी भा0द0स0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व विकल्प में धारा 302 भा0दं0सं0 थाना सुल्तानपुर घोष, जिला फतेहपुर में किया जाता है।

Digitally signed by AKHILESH KUMAR PANDEY
Date: 2024.02.23 16:15:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2. अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा वीरन पुत्र स्व0 बुधई ग्राम भदौहा, थाना खखरेरू, जिला फतेहपुर का मूल निवासी है। मैंने अपनी पुत्री रीतू देवी की शादी लगभग दो वर्ष पूर्व मई 2018 में रामबाबू पुत्र बचानी ग्राम सरौली थाना सुल्तानपुर घोष जनपद फतेहपुर में शादी हिन्दू रीति रिवाज व पूरे दान–दहेज देकर किया। शादी के बाद से रामबाबू पुत्र बचानी एवं बचानी पुत्र अज्ञात व सास पत्नी बचानी व ननद गीता पुत्री बचानी दहेज से संतुष्ट नहीं थे अतिरिक्त दहेज लाने का दबाव बनाकर अक्सर मारते पीटते थे व प्रताड़ित करते थे इन दो वर्षो के बीच कई बार मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार रूपये देकर इनकी मदद करता रहा अभी एक सप्ताह पूर्व इन सबने अपने घर की छत लिण्टर डालने के लिए रीतू देवी पर दबाव बनाकर एक लाख पचास हजार रूपये दहेज के रूप में अपने बाप से मांगने को कहा रीतू देवी के मना करने दिनांक 22.08.2020 को शाम करीब चार बजे के लगभग पति रामबाबू, ससुर बचानी, सास व ननद गीता ने मारपीट कर रीतू देवी को आग लगाकर जला दिया। मुहल्ले के लोग द्वारा जरिये फोन से लगभग शाम 5–बजे मुझे सूचना मिली की आपके लड़की को दवा कराने सदर अस्पताल फतेहपुर लेकर गये गये है जब मैं सदर अस्पताल फतेहपुर पहुंचा तो मेरी लड़की ने मुझे इन सबकी बर्बरता की सारी जानकारी दी एवं इलाज के दौरान तुरन्त पुत्री की मौत हो गयी। मैं सूचना देने थाने पर आया हॅू मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की कृपा करे।

3. वादी मुकदमा की तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना सुल्तानपुर घोष में दिनांक 22.08.2020 को समय 16.00 बजे मुकदमा अपराध संख्या 87/2020, अन्तर्गत धारा 498ए,304बी भा0द0स0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, में अभियुक्तगण रामबाबू, हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी,सोना देवी व गीता देवी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना विवेचक ने वादी व गवाहान के बयान लिए, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। मृतका के शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादि के प्रपत्र एकत्र किए तथा विवेचना की अन्य औपचारिकताए पूर्ण संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण रामबाबू, हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी व सोना देवी के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 105/2020 दिनांकित 12.11.2020 अन्तर्गत धारा 498ए,304बी भा0द0स0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम प्रेषित किए

गए।

4. मामला सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय होना पाते हुए पत्रावली विचारण के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द की गयी। पत्रावली सत्र न्यायालय को प्राप्त होने के उपरान्त सत्र वाद के रूप में दर्ज की गयी। अभियुक्तगण रामबाबू, हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी व सोना देवी की पत्रावली पर सत्र विचारण संख्या 888/2020 कायम हुआ।

5. अभियुक्तगण रामबाबू, हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी व सोना देवी के विरूद्ध धारा 498ए,304बी भा0द0स0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व विकल्प में धारा 302 भा0दं0सं0 का आरोप दिनांक 25.01.2021 को विरचित किया गया तथा अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

6. धारा 319 द0प्र0स0 के प्रार्थना पत्र पर अभियुक्ता गीता देवी को न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2021 को तलब कर उसके विरूद्व अन्तर्गत धारा 498ए/34,304बी/34 भा0द0स0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व विकल्प में धारा 302/34 भा0दं0सं0 का आरोप दिनांक 11.04.2022 को विरचित किया गया। अभियुक्ता ने उक्त आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए वादी मुकदमा वीरन (अ0सा0–1), श्रीमती ममता देवी (अ0सा0–2),डा0 वरूण यादव (अ0सा0–3), क्षेत्राधिकारी अंशुमान मिश्र (अ0सा0–4), एस0आई0 इन्द्रकुमार त्रिपाठी (अ0सा0–5) व डा0 संतराज सिंह तहसीलदार (अ0सा0–6) को परीक्षित कराया गया है।

8. बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी डी0डब्ल्यू–1 महेश एवं डी0डब्ल्यू–2 मुलायम सिंह को परीक्षित कराया गया है।

कम संख्या	अभियोजन प्रलेखों का विवरण	प्रदर्श
01	तहरीर	क–1
02	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	क–2
03	फौती सूचना	क–3
04	घटनास्थल की नक्शा नजरी	क–4

05	आरोप पत्र	क—5
06	प्रथम सूचना रिपोर्ट	क—6
07	कम्प्यूटर प्रति जी0डी0	क—7
08	पंचायतनामा	क—8
09	चिट्टी सी0एम0ओ0	क—9
10	पुलिस प्रपत्र	क—10
11	चालान नाश	क—11
12	फोटो नाश	क—12
13	नमूना शील	क—13

9. साक्षी संख्या—1 बीरन जो कि वादी मुकदमा है, एवं मृतका का पिता है ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैंने अपनी पुत्री रीतू की शादी हिन्दू रीति रिवाज से रामबाबू के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान—दहेज देकर दिनांक 07.05.2018 को किया था। शादी के बाद से चैन व अंगूठी की मांग कर रहे थे। मैं अतिरिक्त दहेज देने लायक नहीं था इसलिए नहीं दिया बाद में मकान के लिए एक लाख पचास हजार रूपये की मांग करने लगे। उक्त मांग पूरी न होने पर मेरी बेटी को रामबाबू, बचानी, सास सोना देवी व ननद गीता देवी मारते पीटते थे और प्रताड़ित करते थे। सुबह मेरे घर वाले मोबाइल नम्बर 7081306367 पर फोन आया था कि पापा मुझे लिवा ले जाओं और कहा कि पहले मुझे खेत पर मारा है फिर मुझे घर पर मारा है मुझे लिवा ले जाओं तो मैंने कहा कि काम है मैं शाम तक आऊगा। मुझे शाम 5—बजे लड़के से सूचना मिली की दीदी की तबियत खराब है। दीदी ने आग लगा ली है। ससुरालीजन मेरी बेटी को सदर अस्पताल लाए थे। मैं भी वहां पहुंचा था उस समय मेरी लड़की जीवित थी। अस्पताल में मेरी पुत्री ने मुझसे बताया कि यह लोग (ससुरालवाले) तीन दिन से मुझे मार रहे है मेरी पुत्री ने यह भी बताया कि यदि तुम लोग मुझे इस तरह परेशान करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत करूगी। इसके बाद उपरोक्त मुल्जिमान पुत्री को पकड़कर कमरे में ले गये और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया और मेरी लड़की की मृत्यु उसी दिन समय 10.50 पी0एम0 पर हो गयी थी। दूसरे दिन मैंने थाने में जाकर अभिजीत शुक्ला से प्रार्थना पत्र लिखाकर दिया था और मुकदमा कायम हुआ था। पत्रावली में कागज संख्या 3अ/3 को देखकर कहा कि

साक्षी ने कहा कि यह वही प्रार्थना पत्र है जिस पर मैंने हस्ताक्षर बनाकर थाने में दिया था जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया है। पंचायतनामा मेरे सामने हुआ था। जिस पर मैंने हस्ताक्षर बनाये थे। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था। मैंने घटना के बारे में सी0ओ0 साहब को पूरी बात बतायी थी और सी0ओ0 साहब को बैटी के ससुराल जाकर घटनास्थल दिखाया था।

10. साक्षी संख्या–2 श्रीमती ममता देवी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि मैं अपनी पुत्री रीतू देवी की शादी सरौली थाना सुल्तानपुर घोष के रामबाबू के साथ दिनांक 07.05.2018 को किया था। शादी के दिन से ही दहेज के लिए रामबाबू, बचानी, सोनी देवी व गीता मारते पीटते थे और गाली देते थे तथा लिण्टर डलवाने के लिए डेढ़ लाख रूपये मांगते थे एवं अंगूठी व चैन भी मांगते थे। दिनांक 22.08.2020 को समय लगभग 8–9 बजे सुबह मेरे लड़की ने घर पर फोन किया था और बताया कि तीन दिन से रामबाबू व अन्य अभियुक्तगण मारते है। मैंने कहा पापा ड्यूटी पर चले गये है शाम को आएंगे तब हम सुबह तुम्हारे घर आएंगे, परेशान मत हो, उसी दिन समय लगभग 4–5 बजे उक्त लोग मिलकर मेरी लड़की के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया। मेरे लड़के के पास जो मुम्बई में था रामबाबू आदि फोन किया और कि तुम्हारी लड़की आग लगा लिया है। हम लोगों को मेरे लड़के ने बताया कि दीदी को जला दिए है और यह भी बताया कि उसे सदर अस्पताल फतेहपुर ले गये है। दिनांक 22.08.2020 को लगभग 10–बजे रात्रि हम चार लोग सदर अस्पताल फतेहपुर आए और अस्पताल में हम लोगों की लड़की से मुलाकात हुई और लड़की रीतू ने बताया कि मुझे चार लोग पति रामबाबू, ससुर हरिचन्द्र उर्फ बचानी, सास सोनी देवी व ननद गीता कमरे के अन्दर मुझे मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिए और मुह बन्द करके आग लगाए थे। समय लगभग 11–बजे रात्रि में जिला अस्तपाल में मेरी लड़की की मृत्यु हो गयी। मेरी लड़की जब भी ससुराल से मायके आती थी तो बराबर बताती थी की दहेज के लिए उक्त लोग उसे मारते–पीटते थे। मेरा बयान सी0ओ0 साहब ने लिया था। बयान खागा सी0ओ0 आफिस में लिए थे।

11. साक्षी संख्या–3 डा0 वरूण यादव ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 23.07.2020 को जहॉगीर नगर गौरा न्यू पी0एच0सी0 धाता फतेहपुर में कार्यरत था उस दिन मेरी ड्यूटी फतेहपुर शव विच्छेदन गृह

में लगी थी। उस दिन मेरे साथ डाक्टर अभय कुमार सिंह मेडिकल आफीसर सी0एस0सी0 बिन्दकी फतेहपुर और डा0 बीरेन्द्र कुमार सोनकर सी0एस0सी0 फतेहपुर भी शव विच्छेदन के समय मौजूद थे। शव हमें 4—बजे दिनांक 23.08.2020 को 14 पुलिस पेपर के साथ प्राप्त हुआ। पोस्टमार्टम 4—बजे दिनांक 23.08.2020 को शुरू हुआ और शाम 5—बजे समाप्त हुआ। इस दौरान वीडियों रिकार्डिग के लिए भी आर0के0सोनी स्टूडियों पटेल नगर फतेहपुर ने वीडियों रिकार्डिग किया। मृतक का नाम रीतू देवी पत्नी रामबाबू था। शव लाने व पहचान कराने वाले पुलिस कर्मी का नाम सी0पी0 बृजेश कुमार पाल एवं एम0सी0पी0 पूनम थाना सुल्तानपुर घोष लाये थे। चोटों के आस—पास लालिमा मौजूद थी। मस्तिष्क की ब्रेन और रक्त वाहिनी कंजेस्टेड थी। मस्तिष्क कंजेस्टेड था मुंह नाक में कार्बन के कड़ मौजूद थे। श्वासनली वायु प्रणाली में सूट कर्ण मौजूद थे। दोनों प्लूरा कंजेस्टेड थे, दोनो फेफडे कंजेस्टेड थे। हृदय दाया पूरा भरा था, बाया खाली था। उदर में बाहरी स्थिति में जलने की चोटे थी। अमाशय में 100 मी0ली0 द्रव्य पदार्थ मौजूद था। छोटी आंत को खोलने पर व गैस और पेस्टी मैटेरियल से आधी भरी थी। बड़ी आंत को गैस और मल थोड़ा बहुत मौजूद था, लिवर कंजेस्टेड था। गालब्लेडर फुल था स्प्लीन कंजेस्टेड था दोनों गुर्दे कंजेस्टेड थे। पेशाब की थैली खाली थी। यूट्रस नान ग्रेविड था मृत्यु की सम्भावित समय लगभग एक दिन पूर्व तथा मृत्यु का कारण शॉक मृत्यु पूर्व जले हुए चोटों के सदमा के कारण। सारी चोटे मृत्यु पूर्व मौजूद थी। शरीर के जो चोट थी मृत्यु के लिए पर्याप्त थी। शव को शील बंद हालत में लाए थे। पूछने पर यह पता चला कि मृतका की मृत्यु पूर्व जिला अस्पताल फतेहपुर में शाम 8.32 बजे दिनांक 22.08.2020 को भर्ती करवाया गया था जहां इलाज के दौरान रात 10.50 बजे दिनांक 22.08.2020 को मृत घोषित की गयी।

<u>सामान्य परीक्षण</u>

मृतका की ऊचाई 155 से0मी0 वजन 55 किलो मध्यम शरीर की बनावट औसत कद काठी। पहने हुए वस्त्रों का विवरण एक हेयर बैण्ड दो प्लास्टिक चूड़ी एक सफेद धातु की अंगूठी एक विगों मौजूद था।

शव में मृत्यु पश्चात परिवर्तन, मृत्यु पश्चात अंकड़न हाथ व पैर दोनों में मौजूद थी। सामान्य दिखावट में आखे बंद थी मुह आधा खुला था। दांत

16/16 थे केरोसीन तेल की महक बालों व सिर से आ रही थी। दोनों नाक में कार्बन का कण़ मौजूद था।

<u>मृत्यु पूर्व चोटेः–</u>

सुपर फिसियल और डीप जलने के कारण चोट चेहरे,गर्दन दोनों कंधों, दोनों हाथ पूरे सीने में और पूरे पीठ, पूरे पेट गर्भनाल के भाग में मौजूद था साथ ही साथ दोनों जाघे एवं दोनों पैरो में तलवे को छोड करके जलने की चोट मौजूद थी। सिजिंग सिर के बालों में मौजूद थी।

मेरी राय से सहमत होते हुए डा0 अभय कुमार सिंह तथा डा0 वीरेन्द्र कुमार सोनकर ने अपनी राय अपने हस्तलेख में अंकित किए थे। कागज संख्या 10अ/1 लगायत 10अ/4 को देखकर गवाह ने उस पर बने अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि व पहचान की जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। कागज संख्या 11अ/4 फौती सूचना थाना कोतवाली में दौरान शव विच्छेदन के पूर्व प्राप्त हो गया था जिसमें मृतका के भर्ती एवं मृत्यु के दिनांक व समय का उल्लेख किया गया है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद है। जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। साक्षी का बयान दरोगा जी ने लिया था।

12. साक्षी संख्या–4 क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद अंशुमान मिश्र ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 23.08.2020 को मैं पुलिस क्षेत्राधिकारी खागा जनपद फतेहपुर के पद पर कार्यरत था। मुकदमा अपराध संख्या 87/2020, अन्तर्गत धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रति0 अधिनियम जो अभियुक्त रामबाबू आदि से सम्बंधित था। पर्चा नम्बर प्रथम दिनांक 23.08.2020 को किता किया था जिसमें नकल तहरीर हिन्दी वादी कायम जी0डी0 की नकल बयान प्रथम सूचना रिपोर्ट हेड का0 इन्द्र कुमार तिवारी वादी मुकदमा वीरन के बयान अंकित किए तथा वादी की निशा देही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी अपने मुंशी से बोलकर अपने निर्देशन में तैयार कराया था जिसमें आवश्यक खसरा दर्ज है। कागज संख्या 5अ नक्शा नजरी को देखकर गवाह ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि व पहचान की जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। पर्चा नम्बर–2 दिनांक 24.08.2020 को किता किया गया जिसमें अभियुक्त रामबाबू के गिरफ्तारी एवं बयान अंकित किये गये तथा इसी पर्चे में अभियुक्त हरिश्चन्द्र पुत्र बचानी की गिरफ्तारी के पश्चात बयान अंकित किए गए। पर्चा नम्बर–3 दिनांक 26.09.

2020 को किता किया गया जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पंचायतनामा का अवलोकन कर सी0डी0 में अंकन किया गया। पर्चा नम्बर–4 दिनांक 29.09. 2020 को किता किया गया जिसमें शादी का कार्ड केस डायरी में अंकित किया गया तथा मृतका की दादी देवरती मां ममता देवी व छविलाल के बयान अंकित किया गया। पर्चा नम्बर–5 दिनांक 10.10.2020 को किता किया गया जिसमें पचायतनामा का गवाह महिला आरक्षी पुनम व आरक्षी बृजेश पाल एवं डाक्टर वरूण यादव का बयान अंकित किया गया इसी पर्चे में बयान गवाह बच्चन,बीरन, अभिजीत शुक्ला, सुमीत व दिनेश चन्द्र का बयान अंकित किया गया। पर्चा नम्बर–6 दिनांक 21.10.2020 को किता किया गया जिसमें अभियुक्त सोना देवी की तलाश किया। पर्चा नम्बर–7 दिनांक 04.11.2020 को किता किया गया जिसमें पंचायतनामाकर्ता नायब तहसीलदार संतराज सिंह का बयान अंकित किया। पर्चा नम्बर–8 दिनांक 08.11.2020 को किता किया, अवलोकन रपट व दबिश का किया। पर्चा नम्बर–9 दिनांक 11.11.2020 को सोना देवी की गिरफ्तारी थाना स्तर पर की गयी तथा सोना देवी का बयान अंकित किया गया। जिसमें बयान गवाह रोशन लाल, रजनीश कुमार गौतम स्वतंत्र साक्षी मुलायम सिंह यादव, सोहन गौतम का बयान अंकित किया गया। पर्चा नम्बर–10 दिनांक 12.11.2020 को किता किया जिसमें गवाह महेश गौतम आरोपिता गीता देवी के बयान अंकित किए थे तथा आरोपिता गीता देवी के विरूद्ध साक्ष्य के अभाव में नामजदगी गलत पायी गयी थी तथा रामबाबू, हरिश्चन्द्र तथा सोना देवी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए जुर्म धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रति0 अधिनियम में आरोप पत्र संख्या 105/2020 दिनांक 12.11.2020 कम्प्यूटराइजड आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। कागज संख्या 4अ/1 लगायत 4अ/4 को आरोपपत्र को देखकर गवाह ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि व पहचान की जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

13. साक्षी संख्या–5 एस0आई0 इन्द्र कुमार त्रिपाठी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 23.08.2020 को मैं थाना सुल्तानपुर घोष में हेड मोहर्रिर के पद पर कार्यरत था। वादी मुकदमा वीरन द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 87/2020 जो अभियुक्त रामबाबू आदि से सम्बंधित धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रति0 अधिनियम

की चिक कम्प्यूटर पर बोलकर, कम्प्यूटर आपरेटर से लिखवाया था तत्पश्चात कायमी जी0डी0 नकल रपट संख्या 20 समय 11.47 दिनांक 23.08.2020 भी कम्प्यूटर पर कम्प्यूटर आपरेटर से टाइप करायी थी। कागज संख्या 3अ/1 लगायत 3अ/2 पर बने सूक्ष्म हस्ताक्षर की पुष्टि व पहचान की जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। कायमी जी0डी0 कागज संख्या 7अ/5 पर भी बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि व पहचान की जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

14. साक्षी संख्या–6 डा0 संतराज सिंह तहसीलदार ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 23.08.2020 को मैं सदर तहसील में नायब तहसीलदार सदर फतेहपुर के पद पर तैनात था। उपजिलाधिकारी सदर फतेहपुर के द्वारा दूरभाष पर दी गयी सूचना के अनुपालन में मैं सदर अस्पताल के शवदावगृह अपने हमराह कर्मियों के साथ पहुंचा था जहां पर एस0आई0 बृजेश कुमार गौतम हमराह पुलिस कर्मियों के साथ पंचायतनामा जिल्द व दीगर अभिलेखों के साथ मौजूद मिले। जहां पर यह भी ज्ञात हुआ था कि दिनांक 22.08.2020 को जलने के कारण उसे जिला अस्पताल फतेहपुर में भर्ती कराया गया था। दौरान इलाज दिनांक 23.08.2020 को समय करीब 7.52 बजे मृत्यु हो गयी। जहां पर मृतका के परिजन रो–बिलख रहे थे जिन्हें समझाबुझाकर शव को बाहर निकालकर आरक्षी महिला पूनम के द्वारा मृतका के चोटों का निरीक्षण कराकर उपस्थित लोगों में से पंचान नियुक्त किया गया। पंचायतनामा की कार्यवाही दिनांक 23.08.2020 को समय 11–बजे प्रारम्भ की गयी थी तथा 12.30 पर दिनांक 23.08.2020 को समाप्त की गयी थी।

मृतका रीतू देवी पत्नी रामबाबू पुत्री बीरन सिंह के पंचायतनामा तथा शव विच्छेदन से सम्बंधित अन्य अभिलेख चिट्ठी सी0एम0ओ0 पुलिस प्रपत्र संख्या 13, चालान नाश, फोटो नाश, नमूना सील, जो कि शामिल पत्रावली है। पचायतनामा कागज संख्या 11अ/2 लगायत 11अ/3, कागज संख्या 11अ/10 चिट्ठी सी0एम0ओं0, पुलिस प्रपत्र कागज संख्या 11अ/11, चालान नाश 11अ/12, फोटोनाश 11अ/13, नमूना सील 11अ/14 को देखकर गवाह ने उस पर बने हस्ताक्षर की पुष्टि व पहचान की। उपरोक्त समस्त अभिलेख मेरे निर्देशानुसार व बोलने पर एस0आई0 बृजेश कुमार गौतम द्वारा

तैयार किया गया। राय मजिस्ट्रेट भी मेरे बोलने पर एस0आई0बृजेश कुमार गौतम द्वारा लिखा गया। पंचायतनामा पर प्रदर्श क–8, चिट्ठी सी0एम0ओ0 पर प्रदर्श क–9, पुलिस प्रपत्र संख्या–13 पर प्रदर्श क–10, चालान नाश पर प्रदर्श क–11, फोटो नाश पर प्रदर्श क–12, नमूना सील पर प्रदर्श क–13 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

15. अभियुक्त रामबाबू ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में कथन किया गया है कि घटना को गलत बताया है और मृतका रीतू की शादी अपने साथ दिनांक 07.05.2018 को होना स्वीकार किया है तथा शेष कथन को गलत बताते हुए यह भी कथन किया गया है कि मैं निर्दोष हूॅ। शादी के एक साल बाद मैं अपनी पत्नी रीतू देवी के साथ बंटवारा करके मकान के एक भाग में अलग रहने लगा था।

16. अभियुक्ता गीता देवी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में कथन किया गया है कि घटना को गलत बताया है और मृतका रीतू की शादी अभियुक्त रामबाबू के साथ दिनांक 07.05.2018 को होना स्वीकार किया है तथा शेष कथन को गलत बताते हुए यह भी कथन किया गया है कि घटना की तिथि व समय पर मैं अपनी बड़ी बहन सुशीला देवी की ससुराल ग्राम रायपुर मजरे हरदो थाना खागा जिला फतेहपुर में थी। सूचना पर अपने बहन व बहनोई के साथ गांव आयी थी।

17. अभियुक्तगण सोना देवी व हरिश्चन्द्र ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में कथन किया गया है कि घटना को गलत बताया है और मृतका रीतू की शादी अभियुक्त रामबाबू के साथ दिनांक 07.05.2018 को होना स्वीकार किया है तथा शेष कथन को गलत बताते हुए यह भी कथन किया गया है कि शादी के एक साल बाद मेरा लड़का रामबाबू अपनी पत्नी रीतू देवी के साथ बंटवारा करके मकान के एक भाग में अलग रहने लगा था। मैं निर्दोष हूॅ।

18. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

19. प्रमुख विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 498ए,304बी भा0द0स0 व धारा 3/4

दहेज प्रतिषेध अधिनियम व विकल्प में धारा 302 भा0दं0सं0 को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है।

20. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है एवं अभियोजन पक्ष द्वारा विलम्ब का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–6 के अनुसार घटना दिनांक 22.08.2020 को समय 16.00 बजे की है तथा घटना की रिपोर्ट थाना सुल्तानपुर घोष में दिनांक 23.08.2020 समय 11.47 बजे दर्ज करायी गयी है। घटनास्थल से थाना सुल्तानपुर घोष की दूरी 15 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है। तहरीर प्रदर्श क–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना दिनांक 22.08.2020 की है एवं घटना की सूचना थाना सुल्तानपुर घ ाोष में दिनांक 23.08.2020 को दी गयी है। पी0डब्ल्यू–1 वीरन ने साक्ष्य में यह कथन किया है कि मुझे शाम 5–बजे लड़के से सूचना मिली कि मेरी लड़की मौत उसी दिन 10.10 पी0एम0 पर हो गयी थी। दूसरे दिन मैंने थाने में जाकर गांव से अभिजीत शुक्ला से लिखाकर थाने में प्रार्थना पत्र दिया था और मुकदमा कायम हुआ था। इस प्रकार मृतका की मृत्यु दिनांक 22.08.2020 समय 10.50 पी0एम0 पर हुई एवं घटना की रिपोर्ट दिनांक 23.08.2020 समय 11.47 बजे ए0एम0 पर थाने में दर्ज की गयी है। बचाव पक्ष का यह तर्क आधारहीन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है एवं अभियोजन पक्ष द्वारा विलम्ब का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।

21. अभियोजन पक्ष की ओर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त रामबाबू एवं मृतका रीतू की शादी दिनांक 07.05.2018 को हुई थी मृतका रीतू की मृत्यु दिनांक 22.08.2020 को हुई। इस प्रकार रीतू के विवाह के सात वर्ष के अन्दर असामान्य मृत्यु हुई है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि रामबाबू अभियुक्त का मृतका रीतू से विवाह दिनांक 07.05.2018 को होना स्वीकार है। रामबाबू ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में मृतका रीतू से दिनांक 07.05.2018 को विवाह होना स्वीकार किया है। प्रदर्श क–2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं प्रदर्श क–8 पंचायतनामा के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि रीतू की मृत्यु दिनांक 22.08.2020 को हुई। पत्रावली पर संलग्न प्रदर्श

क–3 फौती सूचना के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतका रीतू को दिनांक 22.08.2020 को 8.32 बजे भर्ती कर इलाज किया जा रहा था। इलाज के दौरान उसी दिन समय 10.50 बजे मृत्यु हो गयी। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि मृतका रीतू एवं अभियुक्त रामबाबू का विवाह दिनांक 07.05.2018 को हुआ था तथा रीतू की मृत्यु दिनांक 22.08.2020 को हुई। रीतू की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अन्दर हुई है।

22. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा रीतू मृतका की मृत्यु के ठीक पूर्व उससे कभी अतिरिक्त दहेज की मांग नहीं की एवं न ही प्रताड़ित किया। तहरीर में सोने की चैन व अंगूठी का उल्लेख नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण मृतका रीतू से अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन, अंगूठी व मकान के लिए डेढ़ लाख रूपये की मांग करते थे, अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर रीतू को शारीरिक व मानसिक रूप से उत्पीड़ित करते थे।

प्रदर्श क–1 तहरीर में यह उल्लेख किया गया है कि शादी के बाद से रामबाबू, बचानी, रीतू की सास व ननद गीता दहेज से संतुष्ट नहीं थे। अतिरिक्त दहेज लाने का दबाव बनाकर अक्सर मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे। एक सप्ताह पूर्व अभियुक्तगण ने घर की छत डालने के लिए रीतू देवी पर दबाव बनाकर डेढ़ लाख रूपया दहेज के रूप में अपने पिता से मागने को कहा। रीतू देवी के मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित की गयी।

पी0डब्ल्यू–1 वीरन वादी मुकदमा एवं मृतका रीतू का पिता है। साक्ष्य में यह कथन किया है कि शादी के बाद से चैन व अंगूठी की मांग कर रहे थे। मैं अतिरिक्त दहेज देने लायक नहीं था इसलिए नहीं दिया बाद में मकान के लिए एक लाख पचास हजार रूपये की मांग करने लगे। उक्त मांग पूरी न होने पर मेरी बेटी को रामबाबू, बचानी, सास सोना देवी व ननद गीता देवी मारते पीटते थे और प्रताड़ित करते थे। सुबह मेरे घर वाले मोबाइल नम्बर 7081306367 पर फोन आया था कि पापा मुझे लिवा ले जाओं और कहा कि पहले मुझे खेत पर मारा है फिर मुझे घर पर मारा है मुझे लिवा ले जाओं तो मैंने कहा कि काम है मैं शाम तक आऊगा। मुझे शाम 5–बजे लड़के से सूचना मिली की दीदी की तबियत खराब है। दीदी ने आग लगा ली है।

ससुरालीजन मेरी बेटी को सदर अस्पताल लाए थे। मैं भी वहां पहुंचा था उस समय मेरी लड़की जीवित थी। अस्पताल में मेरी पुत्री ने मुझसे बताया कि यह लोग (ससुरालवाले) तीन दिन से मुझे मार रहे है मेरी पुत्री ने यह भी बताया कि यदि तुम लोग मुझे इस तरह परेशान करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत करूगी। इसके बाद उपरोक्त मुल्जिमान पुत्री को पकड़कर कमरे में ले गये और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया और मेरी लड़की की मृत्यु उसी दिन समय 10.50 पी0एम0 पर हो गयी थी। साक्षी ने तहरीर को बतौर प्रदर्श क–1 साबित किया है। साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि अभियुक्त हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी का दाहिना हाथ कटा हुआ है। शादी में कोई विवाद नहीं था। लड़की की विदाई राजी–खुशी से हुई थी। शादी के बाद से चैन और अंगूठी की मांग कर रहे थे यह बात अपनी तहरीर में नहीं लिखायी थी। विवेचक को उपरोक्त बात मैंने बतायी थी। विवेचक ने उपरोक्त बात मेरे बयान में न लिखा हो तो मैं कारण नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा चैन व अंगूठी मांगने वाली बात मैंने किसी के सिखाने के आधार पर मुकदमे में बल देने के लिए लिखाया है। रामबाबू मेरे दामाद ने डेढ़ लाख रूपया मकान बनाने के लिए घटना से छः–सात महीने किया था।

पी0डब्ल्यू–2 श्रीमती ममता देवी मृतका रीतू देवी की मां है। साक्ष्य में यह कथन किया है कि मैं अपनी पुत्री रीतू देवी की शादी सरौली थाना सुल्तानपुर घोष के रामबाबू के साथ दिनांक 07.05.2018 को किया था। शादी के दिन से ही दहेज के लिए रामबाबू, बचानी, सोनी देवी व गीता मारते पीटते थे और गाली देते थे तथा लिण्टर डलवाने के लिए डेढ़ लाख रूपये मांगते थे एवं अंगूठी व चैन भी मांगते थे। दिनांक 22.08.2020 को समय लगभग 8–9 बजे सुबह मेरे लड़की ने घर पर फोन किया था और बताया कि तीन दिन से रामबाबू व अन्य अभियुक्तगण मारते है। मैंने कहा पापा ड्यूटी पर चले गये है शाम को आएंगे तब हम सुबह तुम्हारे घर आएंगे, परेशान मत हो, उसी दिन समय लगभग 4–5 बजे उक्त लोग मिलकर मेरी लड़की के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया। मेरे लड़के के पास जो मुम्बई में था रामबाबू आदि फोन किया और कि तुम्हारी लड़की आग लगा लिया है। हम लोगों को मेरे लड़के ने बताया कि दीदी को जला दिए है और यह भी बताया कि उसे सदर अस्पताल फतेहपुर ले गये है। दिनांक 22.08.2020 को

लगभग 10–बजे रात्रि हम चार लोग सदर अस्पताल फतेहपुर आए और अस्पताल में हम लोगों की लड़की से मुलाकात हुई और लड़की रीतू ने बताया कि मुझे चार लोग पति रामबाबू, ससुर हरिचन्द्र उर्फ बचानी, सास सोनी देवी व ननद गीता कमरे के अन्दर मुझे मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिए और मुह बन्द करके आग लगाए थे। मेरी लड़की जब ससुराल से मायके आती तो बराबर बताती थी कि दहेज के लिए अभियुक्तगण उसे मारते पीटते थे। साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि शादी के दूसरे दिन विदाई हुई थी। विदाई के बाद ससुराल में चार दिन रही। ससुराल में पहुंचने पर ही दहेज के लिए मारपीट करने लगे थे। लिण्टर डालने के लिए डेड़ लाख रूपये रामबाबू, बचानी, मेरी लड़की से प्रतिदिन कहते थे। डेढ़ लाख रूपया उधार नहीं, दहेज के रूप में मांगते थे। अंगूठी एवं सोने की चैन मांगने वाली बात विवेचक को बताया था यदि विवेचक ने उक्त बात न लिखी हो तो मैं उसका कारण नहीं बता सकती।

23. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण ने दहेज की कभी मांग नहीं किया एवं न ही कभी मृतका को प्रताड़ित किया। मृतका रीतू के आग लग जाने पर उसे अस्पताल में भर्ती किया। अभियुक्तगण अस्पताल में एवं पंचायतनामा के समय उपस्थित थे। अभियुक्तगण का आचरण मृतका के प्रति सदैव अच्छा रहा। मृतका रीतू ने स्वयं आग लगाकर आत्महत्या की है।

पी0डब्ल्यू–1 वीरन ने साक्ष्य में यह कथन किया है कि मुझे सूचना मेरे लड़के ने मुम्बई से दिया था। सूचना मुझे लगभग पांच बजे शाम को मिली थी। हम लोग अस्पताल 7–730 बजे पहुंचे थे। अस्पताल में रामबाबू, बचानी उर्फ हरिश्चन्द्र एवं गीता मौजूद थे जब लड़की के शव का पंचायतनामा हुआ था। उस समय मैं वहॉ मौजूद था। अभियुक्त हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी भी पंचायतनामा के समय मौजूद था। उसने भी पंचायतनामा पर हस्ताक्षर बनाए थे। पंचायतनामा प्रदश्न क–8 के अवलोकन से स्पष्ट है कि हरिश्चन्द्र को पुलिस द्वारा पंच बनाया गया है एवं पंचायतनामा पर हरिश्चन्द्र के हस्ताक्षर है।

पी0डब्ल्यू–2 श्रीमती ममता देवी ने साक्ष्य में यह कथन किया है कि जब हम लोग सदर अस्पताल पहुंचे तो मेरी लड़की के पति,ससुर व ननद थे। यह लोग व इनके गांव के लोग अस्पताल में भर्ती कराए थे। मेरे लड़के के

पास सूचना अभियुक्त रामबाबू ने दिया कि सदर अस्पताल फतेहपुर में इलाज कराने के लिए ले जा रहे थे। अभियुक्त रामबाबू ने मृतका रीतू देवी को भर्ती कराया था। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि घटना के पश्चात मृतका रीतू को अभियुक्तगण द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा अभियुक्त हरिश्चन्द्र पंचायतनामा के समय भी मौजूद था।

24. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना के समय अभियुक्ता गीता मौके पर मौजूद नहीं थी। घटना की तिथि व समय पर गीता अपनी बड़ी बहन सुशीला देवी की ससुराल में थी। विवेचक विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य न पाए जाने पर गीता देवी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 319 द0प्र0सं0 निस्तारित करते हुए न्यायालय द्वारा गीता देवी को विचारण हेतु आहूत किया गया।

25. अभियोजन पक्ष की ओर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि घटना दिनांक व समय अभियुक्ता गीता देवी अपने घर पर थी एवं घटना में सम्मिलित थी।

डी0डब्ल्यू–1 महेश ने साक्ष्य में यह कथन किया है कि अभियुक्त हरिश्चन्द्र मेरे ससुर, अभियुक्ता सोना देवी मेरी सास, अभियुक्ता रामबाबू साला एवं अभियुक्ता गीता देवी मेरी साली है। मेरी सुशीला से शादी लगभग 18 वर्ष पूर्व हुई थी। मेरी पत्नी घटना के पहले से बीमार रहती है। पत्नी की सेवा के लिए मेरे ससुर ने गीता देवी को जुलाई 2020 में भेज दिया था। घटना वाले दिन गीता देवी मेरे गांव में थी। घटना की सूचना मिलने पर मैं अपनी पत्नी सुशीला व साली गीता को लेकर ससुराल गया था। साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि मेरी पत्नी को पेट की बीमारी थी। पत्नी का इलाज ओमप्रकाश के यहां कराते थे। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण का सगा रिश्तेदार होने के कारण अभियुक्तों को बचाने की नियत से न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूॅ।

डी0डब्ल्यू–2 मुलायम सिंह ने साक्ष्य में यह कथन किया है कि अभियुक्तगण को जानता पहचानता हूॅ। यह सब मेरे गांव के है। घटना के समय घर में गीता देवी मौजूद नहीं थी। गीता देवी घटना से एक माह पूर्व अपनी बड़ी बहन सुशीला देवी की ससुराल रायपुर गयी थी।

पी0डब्ल्यू–1 वीरन ने साक्ष्य में कथन किया है कि अभियुक्त रामबाबू की दो बहन है। बड़ी बहन का नाम नहीं मालूम है, छोटी बहन का नाम गीता देवी है। रामबाबू की बड़ी बहन खागा के पास शादी हुई है गांव का नाम नहीं मालूम है। रामबाबू के बड़ी बहन की तबियत खराब रहती थी। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। पी0डब्ल्यू–2 ममता देवी ने साक्ष्य में कथन किया है कि गीता देवी दो बहन है। गीता की बड़ी बहन की शादी हो चुकी है जिसका नाम मुझे नहीं मालूम गीता की बड़ी बहन बीमार रहती है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। गीता की बड़ी बहन अपने ससुराल में रहती है।

पी0डब्ल्यू–4 विवेचक अंशुमान मिश्र ने साक्ष्य में यह कथन किया है कि गवाह रोशन लाल ने बयान दिया था कि घटना के समय गीता देवी घर पर मौजूद नहीं थी वह अक्सर अपनी बड़ी बहन के यहां रहती थी। घटना की सूचना पाकर अपनी बड़ी बहन के यहां से आयी थी। गवाह मुलायम सिंह यादव एवं गवाह महेश गौतम ने भी घटना के समय गीता देवी का अपनी बड़ी बहन सुशीला देवी के ससुराल में होने का कथन किया है। साक्ष्य में यह कथन किया है कि मेरी विवेचना से गीता देवी का नामजदगी मुकदमें गलती पायी गयी थी।

अभियुक्ता गीता देवी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में यह कथन किया है कि घटना की तिथि व समय पर मैं अपनी बड़ी बहन सुशीला देवी की ससुराल ग्राम रायपुर मजरे हरदो, थाना खागा जिला फतेहपुर में थी। सूचना पर अपने बहन व बहनोई के साथ गांव आयी थी। इस प्रकार पी0डब्ल्यू–1 वीरन एवं पी0डब्ल्यू–2 ममता देवी ने अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि गीता देवी की एक बड़ी बहन है जिसकी शादी मृतका रीतू की शादी से पूर्व हो चुकी है। गीता की बड़ी बहन सुशीला बीमार रहती थी या नहीं इस सम्बंध में अभियोजन साक्षियों ने जानकारी न होने का कथन किया है। डी0डब्ल्यू–1 महेश व डी0डब्ल्यू–2 मुलायम सिंह के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना के दिनांक व समय अभियुक्ता गीता देवी अपनी बड़ी बहन सुशीला देवी की देखरेख के लिए सुशीला देवी की ससुराल में थी। घटना की जानकारी होने पर अपनी बहन सुशीला देवी व बहनोई महेश के साथ घर आयी थी।

उपरोक्त विवेचना से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि

अभियुक्ता गीता देवी घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थी तथा घटना में सम्मिलित नहीं थी।

26. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी एवं सोना देवी घटना के पूर्व से अभियुक्त रामबाबू से अलग निवास करते थे।

अभियोजन पक्ष की ओर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सभी अभियुक्तगण एक ही मकान में रहते थे। सभी अभियुक्त मृतका रीतू से अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे एवं रीतू देवी के मना करने पर प्रताड़ित करते थे।

डी0डब्ल्यू–1 महेश ने साक्ष्य में यह कथन किया है कि मेरे ससुर व रामबाबू अलग–अलग रहते थे। मेरे सास सोना देवी व गीता देवी मेरे ससुर के साथ रहती थी। डी0डब्ल्यू–2 मुलायम सिंह ने साक्ष्य में यह कथन किया है कि शादी के एक साल बाद रामबाबू अपनी पत्नी मृतका रीतू देवी के साथ अपने माता पिता के बंटवारे से अलग रहकर रहने लगा था। प्रदर्श क–4 नक्शा नजरी घटनास्थल में एक्स स्थान पर मृतका रीतू का शव जला हुआ अवस्था में पड़ा होना दर्शाया गया है। अभियुक्तगण के मकान में मृतका का कमरा व कमरा अभियुक्तगण तथा बरामदा यथा स्थान प्रदर्शित है, किन्तु मकान के बंटवारे अथवा अलग निवास का कोई उल्लेख नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट हो सके कि अभियुक्तगण हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी एवं सोना देवी, अभियुक्त रामबाबू से अलग निवास करते हो।

27. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतका रीतू देवी ने स्वयं केरोसीन तेल डालकर आत्महत्या किया है। पी0डब्ल्यू–1 वीरन ने साक्ष्य में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि मेरी पुत्री मेरे दामाद से अपने साथ मुम्बई ले जाने का दबाव बना रही थी वह ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए स्वयं आग लगाकर आत्महत्या कर ली हो। पी0डब्ल्यू–2 ममता देवी ने साक्ष्य में कथन किया है कि मृतका रीतू देवी ने स्वयं आग लगा लिया है।

अभियोजन पक्ष की ओर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण ने मृतका रीतू

की असामान्य मृत्यु कारित की। मृतका रीतू ने आग लगाकर आत्महत्या नहीं की। पी0डब्ल्यू–3 डा0 वरूण यादव ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया है। डा0 वरूण के साथ डा0 अभयकुमार सिंह एवं डा0 वीरेन्द्र कुमार सोनकर भी पोस्टमार्टम के समय मौजूद थे। साक्षी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बतौर प्रदर्श क–2 एवं फौती सूचना को बतौर प्रदर्श क–3 साबित किया है। साक्ष्य यह कथन किया है कि चोटों के आस–पास लालिमा मौजूद थी। मुंह नाक में कार्बन के कड़ मौजूद थे। श्वासनली वायु प्रणाली में सूट कण मौजूद थे। दोनों प्लूरा कंजेस्टेड थे, दोनो फेफडे कंजेस्टेड थे। उदर में बाहरी स्थिति में जलने की चोटे थी। यूट्रस नान ग्रेविड था मृत्यु की सम्भावित समय लगभग एक दिन पूर्व तथा मृत्यु का कारण शॉक मृत्यु पूर्व जले हुए चोटों के सदमा के कारण। सारी चोटे मृत्यु पूर्व मौजूद थी। शरीर के जो चोट थी मृत्यु के लिए पर्याप्त थी।

<u>सामान्य परीक्षण</u>

शव में मृत्यु पश्चात परिवर्तन, मृत्यु पश्चात अंकड़न हाथ व पैर दोनों में मौजूद थी। सामान्य दिखावट में आखे बंद थी मुह आधा खुला था। दांत 16/16 थे केरोसीन तेल की महक बालों व सिर से आ रही थी। दोनों नाक में कार्बन का कण मौजूद था।

<u>मृत्यु पूर्व चोटेः–</u>

सुपर फिसियल और डीप जलने के कारण चोट चेहरे,गर्दन दोनों कंधों, दोनों हाथ पूरे सीने में और पूरे पीठ, पूरे पेट गर्भनाल के भाग में मौजूद था साथ ही साथ दोनों जाघे एवं दोनों पैरो में तलवे को छोड करके जलने की चोट मौजूद थी। सिजिंग सिर के बालों में मौजूद थी।

मेरी राय से सहमत होते हुए डा0 अभय कुमार सिंह तथा डा0 वीरेन्द्र कुमार सोनकर ने अपनी राय अपने हस्तलेख में अंकित किए थे। साक्षी का बयान दरोगा जी ने लिया था।

साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि मृतका के शरीर पर बर्न इंजरी के अलावा अन्य एंटीमार्टम इंजरी मौजूद नहीं पायी गयी।

पी0डब्ल्यू–6 डा0 संतराज सिंह तहसीलदार के निर्देश पर मृतका के शव का पंचायतनामा उपनिरीक्षक बृजेश कुमार गौतम द्वारा भरा गया था। साक्षी ने पंचायतनामा को बतौर प्रदर्श क–8, चिट्ठी सी0एम0ओ0 प्रदर्श

क–9,पुलिस प्रपत्र प्रदर्श क–10,चालान नाश प्रदर्श क–11, फोटो नाश प्रदर्श क–12 व नमूना सील प्रदर्श क–13 साबित किया है। प्रदर्श क–8 पंचायतनामा में चोट के कालम में मृतका का पूरा शरीर चेहरे से लेकर पैर तक जला हुआ अंकित है। राय पंचान में उल्लेख किया गया है कि मृतका की मृत्यु जलने के कारण दौरान इलाज हुई है। मजिस्ट्रेट की राय पंचों की राय से मेल खाती है।

अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य प्रदर्श क–2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं प्रदर्श क–8 पंचायतनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतका रीतू की असामान्य मृत्यु जलने के कारण अभियुक्तगण के घर पर हुई।

28. पी0डब्ल्यू–4 विवेचक अंशुमान मिश्रा ने नक्शा नजरी घटनास्थल प्रदर्श क–4 एवं अभियुक्तगण रामबाबू, हरिश्चन्द्र एवं सोना देवी के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र को प्रदर्श क–5 साबित किया है। साक्ष्य में यह कथन किया है कि नक्शा नजरी वादी के निशान देही पर तैयार कराया था।

29. पी0डब्ल्यू–5 एस0आई0 इन्द्र कुमार त्रिपाठी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–6 एवं कायमी जी0डी0 को प्रदर्श क–7 साबित किया है। साक्ष्य में यह कथन किया है कि तहरीर लेने के बाद पहले कायमी जी0डी0 तैयार की गयी। उसके पश्चात चिक एफ0आई0आर लिखा गया। मेरी जानकारी में दिनांक 22.08.2020 को किसी के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी थी।

30. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत तथ्य के साक्षियों में विरोधाभाष है।

जहॉ तक बचाव पक्ष का यह तर्क है कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभाष है। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में सूक्ष्म विरोधाभाष मानवीय संवेदना एवं लम्बे समय अंतराल का स्वाभाविक परिणाम हो सकता है।

विधि व्यवस्था **Tomaso Bruno Vs. State of Uttar Pradesh (2015) 7 SCC 178 (Three-Judge Bench)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि:–

If there are no material discrepancies of contradictions in the testimony of a witness, his

evidence can not be disbelieved merely on the basis of some normal, natural or minor contradictions, inconsistencies, exaggerations, embellishments etc.

31. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवेचक द्वारा विवेचना त्रुटिपूर्ण ढंग से की गयी है।

विधि व्यवस्था **ए0आई0आर0 2015 सुप्रीम कोर्ट 3043 राहुल मिश्रा बनाम स्टेट आफ उत्तराखण्ड** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है किः–

The investigating officer is not obliged to anticipate all possible defences and investigate in that angle. In any event any omission on the part of the investigating officer can not go against the prosecution interest of justice demands that such acts or omission of the investigating officer should not be taken in favour of the accused or otherwise it would amount to placing a premium upon such ommiossions.

32. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से किसी भी स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। साक्षी पी0डब्ल्यू–1 वीरन मृतका के पिता एवं पी0डब्ल्यू–2 ममता देवी मृतका की मां है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मात्र पारिवारिक सदस्य होने के कारण साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है।

विधि व्यवस्था **धारी एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0ए0 आई0आर02013 सुप्रीम कोर्ट 308** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है किः–

The testimony of a witness in a criminal trail can not be discarded merely because the witness is a relative or family member of the victim of the offence.

इस प्रकार बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क आधारहीन है

कि तथ्य के सभी साक्षी पारिवारिक सदस्य एवं रिश्तेदार हैं। इसलिए उनके साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्ता गीता देवी घटना के समय घर पर मौजूद नहीं थी। गीता देवी अपनी बड़ी बहन सुशीला देवी की ससुराल में थी तथा घटना में सम्मिलित नहीं थी। अभियुक्तगण हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी एवं श्रीमती सोना देवी, अभियुक्त रामबाबू से अलग निवास नहीं करते थे।

अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त रामबाबू एवं मृतका रीतू के विवाह के सात वर्ष के अन्दर दिनांक 22.08.2020 को अभियुक्त रामबाबू के घर मृतका रीतू की जलने से दौरान उपचार अस्पताल में असामान्य मृत्यु हुई। पंचायतनामा प्रदर्श क–8 एवं शवविच्छेदन आख्या प्रदर्श क–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतका रीतू की मृत्यु जलने के कारण हुई। अभियुक्तगण रामबाबू, हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी एवं सोना देवी द्वारा मृतका रीतू से अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन,अंगूठी व डेढ़ लाख रूपये की मांग की जाती थी। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर रीतू को प्रताड़ित किया जाता था। मृतका रीतू की मृत्यु के ठीक पूर्व अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन,अंगूठी व डेढ़ लाख रूपये की मांग की गयी एवं प्रताड़ित किया गया।

33. इस प्रकार विवाह के सात वर्ष अन्दर मृतका रीतू की असामान्य परिस्थितियों में जलने के कारण मृत्यु हुई है। अतः अभियुक्तगण रामबाबू, हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी एवं सोना देवी द्वारा दहेज हत्या कारित की गयी है।

34. उपरोक्त विवेचना से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण रामबाबू, हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी एवं सोना देवी पर लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम को साबित करने में सफल रहा है एवं धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम को साबित करने में असफल रहा है तथा अभियोजन पक्ष अभियुक्ता गीता देवी पर लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम को साबित करने में असफल रहा है।

35. जहॉ तक अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 का प्रश्न है। मृतका रीतू के शव का पंचायतनामा व

पोस्टमार्टम कराया गया है। अभियोजन साक्षियों ने घटना को स्वयं नहीं देखा। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि अभियुक्तगण रामबाबू, हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी एवं सोना देवी द्वारा मृतका रीतू की दहेज हत्या कारित की गयी है। अतः न्यायालय की राय में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण रामबाबू, हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी, सोना देवी एवं गीता देवी पर लगाए गए वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण रामबाबू, हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी एवं सोना देवी पर लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम को साबित करने में सफल रहा है एवं धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है तथा अभियोजन पक्ष अभियुक्ता गीता देवी पर लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है।

36. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्तगण रामबाबू, हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी एवं सोना देवी पर लगाए गए आरोप धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषसिद्ध किए जाने योग्य है एवं धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा वैकल्पिक आरोप धारा 302 भा0दं0सं0 में दोषमुक्त किए जाने योग्य है तथा अभियुक्ता गीता देवी पर लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 में दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

37. अभियुक्तगण रामबाबू, हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी एवं सोना देवी पर लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है एवं धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा वैकल्पिक आरोप धारा 302 भा0दं0सं0 में दोषमुक्त किया जाता है तथा अभियुक्ता गीता देवी पर लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 498ए,304बी

भा0दं0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 में दोषमुक्त किया जाता है।

38. अभियुक्ता गीता देवी जमानत पर है, उसके बंधपत्र व जमानतनामें निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

39. अभियुक्तगण हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी तथा सोना देवी जमानत पर है। उनके बंधपत्र निरस्त किये जाते है एवं जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी एवं सोना देवी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

40. अभियुक्त रामबाबू जिलाकारागार में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

पत्रावली सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 23.02.2024 को पेश हो।

अभियुक्तगण को सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 23.02.2024 को पेश किया जाए।

दिनांक 22.02.2024

(अखिलेश कुमार पाण्डेय)
जे0ओ0कोड–UP6031
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नम्बर–1,फतेहपुर।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर–1,फतेहपुर।

उपस्थितः अखिलेश कुमार पाण्डेय ......एच0जे0एस0

<u>सत्र परीक्षण संख्या 888/2020</u>

सरकार बनाम रामबाबू आदि।
मुकदमा अपराध संख्या 87/2020
धारा 498ए,304बी भा0द0स0
व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
व विकल्प में धारा 302 भा0दं0सं0
<u>थाना सुल्तानपुर घोष, जिला फतेहपुर।</u>

<u>23.02.2024</u>

41. दण्ड के बिन्दु पर पत्रावली प्रस्तुत हुई।

सिद्धदोष अभियुक्तगण रामबाबू, हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी एवं सोना देवी न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है।

42. दण्ड की मात्रा पर सिद्धदोष अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना एवं पत्रावली उपलब्ध साक्ष्य तथा परिस्थितियों का परिशीलन किया।

43. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सिद्धदोष अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। सिद्धदोष अभियुक्तगण मृतका रीतू से अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन,अंगूठी व डेढ़ लाख रूपये की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करके विवाह के लगभग दो वर्ष बाद दहेज हत्या कारित की गयी। अतः सिद्धदोष अभियुक्तगण को अधिक से अधिक सजा से दण्डित किए जाने याचना की गयी।

44. सिद्धदोष अभियुक्त रामबाबू के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सिद्वदोष अभियुक्त रामबाबू सम्पूर्ण विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में जिलाकारागार में निरूद्ध रहा है। सिद्धदोष अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सिद्धदोष अभियुक्त हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि सिद्धदोष

अभियुक्त हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी का दाहिना हाथ कटा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है और अत्यंत वृद्ध व्यक्ति है प्रायः बीमार रहता है जिसका इलाज नियमित रूप से चल रहा है। सिद्धदोष अभियुक्ता श्रीमती सोना देवी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि सिद्धदोष अभियुक्ता श्रीमती सोना देवी वृद्ध महिला है प्रायः बीमार रहती है। जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। अतः सिद्धदोष अभियुक्तगण को कम से कम सजा से दण्डित किया जाए।

45. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि साक्षी पी0डब्ल्यू–1 वीरन वादी मुकदमा व पी0डब्ल्यू–2 ममता देवी ने अपने साक्ष्य में कथन किया है किं सिद्धदोष अभियुक्तगण मृतका रीतू से अतिरिक्त दहेज में सोने की चैन,अंगूठी व डेढ़ लाख रूपये की मांग करते थे, अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर मृतका रीतू को मारपीट व प्रताड़ित करते थे। रीतू की मृत्यु के ठीक पूर्व भी अभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी एवं अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर मृतका रीतू को प्रताड़ित किया गया। सिद्धदोष अभियुक्त रामबाबू एवं मृतका रीतू के विवाह के सात वर्ष के अन्दर मृतका रीतू जलने के कारण असामान्य मृत्यु हुई।

46. सिद्धदोष अभियुक्त रामबाबू व मृतका रीतू का विवाह दिनांक 07.05. 2018 को हुआ एवं मृतका रीतू की मृत्यु दिनांक 22.08.2020 को हुई है। पंचायतनामा प्रदर्श क–8 में यह उल्लेख किया गया है कि पंचों की राय में मृतका रीतू की मृत्यु आग से अत्यधिक जलने के कारण इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–2 में मृतका रीता देवी की मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व जलने से आयी चोटों के परिणामस्वरूप दम घ ुटने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–2 में मृत्यु पूर्व चोट में लगभग शरीर के अधिकांश हिस्से में जलने की चोट का उल्लेख है एवं पोस्टमार्टम के समय केरोसिन तेल की महक बालों व सिर से आ रही थी। दोनों नाक में कार्बन का कण मौजूद था। सिद्धदोष अभियुक्त रामबाबू मृतका रीतू का पति, सोना देवी मृतका रीतू की सास व हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी मृतका रीतू का ससुर है।

47. अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थियों को दृष्टिगत रखते हुए सिद्धदोष अभियुक्त रामबाबू को धारा 498ए भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तीन वर्ष के कारावास

एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा 304बी भा0दं0सं के अन्तर्गत दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दो वर्ष का कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया जाना न्यायोचित है।

48. सिद्धदोष अभियुक्तगण हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी व सोना देवी प्रत्येक को धारा 498ए भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तीन–तीन वर्ष के कारावास एवं दो–दो हजार रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में तीन–तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा 304बी भा0दं0सं के अन्तर्गत आठ–आठ वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दो–दो वर्ष का कारावास एवं दो–दो हजार रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में तीन–तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

49. अभियुक्तगण रामबाबू, हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी व सोनी देवी पर लगाए गए आरोप धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है एवं धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा वैकल्पिक आरोप धारा 302 भा0दं0सं0 में दोषमुक्त किया जाता है।

50. अभियुक्ता गीता देवी पर लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 में दोषमुक्त किया जाता है।

51. सिद्धदोष अभियुक्त रामबाबू को धारा 498ए भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तीन वर्ष के कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा 304बी भा0दं0सं के अन्तर्गत दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दो वर्ष का कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया जाता है।

52. सिद्धदोष अभियुक्तगण हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी व सोनी देवी प्रत्येक

को धारा 498ए भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तीन–तीन वर्ष के कारावास एवं दो–दो हजार रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में तीन–तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा 304बी भा0दं0सं के अन्तर्गत आठ–आठ वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दो–दो वर्ष का कारावास एवं दो–दो हजार रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में तीन–तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया जाता है।

53. सिद्धदोष अभियुक्तगण रामबाबू, हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी व सोनी देवी की उपरोक्त सभी मौलिक सजाए साथ–साथ चलेगी।

54. सिद्धदोष अभियुक्तगण रामबाबू, हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी व सोनी देवी द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि, सजा की अवधि समोयोजित की जाएगी।

55. सिद्धदोष अभियुक्तगण रामबाबू, हरिश्चन्द्र उर्फ बचानी व सोनी देवी का सजायावी वारण्ट तैयार कर उन्हे सजा भुगतने हेतु जिलाकारागार भेजा जाए।

56. निर्णय एवं दण्डादेश की प्रति निःशुल्क सिद्धदोष अभियुक्तगण को नियमानुसार प्रदान की जाए।

दिनांक 23.02.2024

(अखिलेश कुमार पाण्डेय)
जे0ओ0कोड–UP6031
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नम्बर–1,फतेहपुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक 23.02.2024

(अखिलेश कुमार पाण्डेय)
जे0ओ0कोड–UP6031
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नम्बर–1,फतेहपुर।